संख्या-22/2019/2778/96-आयुष-1-2019-57/2017 टी0सी0-।।।

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 29 मई, 2019**

विषय- योग पखवाडा 2019 (15 जून 2019 से 30 जून 2019 तक) एवं पंचम अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम हेतु धनराशि स्वीकृत कर भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49/345/योग/पखवारा/2018-19; दिनांक 15.05.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योग पखवाडा 2019 (15 जून 2019 से 30 जून 2019 तक) एवं पंचम अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम हेतु धनराशि रू0-350.00 लाख (रूपया तीन करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय निम्न विवरणानुसार किया जायेगा-

क्र0सं0	कार्यक्रम	धनराशि
1	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017/2018 की अवशेष देयता	100.00 लाख
2	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 के मुख्यालय स्तर पर आयोजन हेतु प्रस्तावित धनराशि	76.00 लाख
3	योग पखवाडा 2019 (दिनांक 15-06-2019 से 30-06-2019 तक) का महाविद्यालयो स्तर पर आयोजन- रू0 2.00 लाख प्रति महाविद्यालय	16.00 लाख
4	योग पखवाडा 2019 (दिनांक 15-06-2019 से 30-06-2019 तक) का जनपद स्तर पर आयोजन- रू0 2.50 लाख प्रति क्षेत्रीय कार्यालय	147.50 लाख
5	कार्यक्रम हेतु पुरूस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन	10.50 लाख
	कुल योग	350.00 लाख

2. उक्त धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उपरोक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर न किया जाय।
3. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों/प्रचलित शासनादेशों स्टोर परचेज नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाय तथा जिन मदों में धनराशि प्राविधानित है, उन्ही मदों में व्यय किया जाय। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
5. उक्त विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि से विगत वर्षों की देनदारियों आदि का भुगतान किये जाने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक-22. मार्च.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101-आयुर्वेद-0602-योग पखवाडा एवं अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस** के मानक मद **42-** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्या-22/2019/2778(1)/96-आयुष-1-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी समस्त जनपद।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज।
(6) समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in